भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-99

जिसका उत्तर 12 फरवरी, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत क्रय करार संबंधी नीलामी का दूसरा दौर

***99. श्री टी. रतिनावेलः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार 2,500 मेगावाट के मध्यावधि विद्युत क्रय करार संबंधी नीलामी के दूसरे दौर के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि विद्युत क्षेत्र कोयले की कमी और अन्य मसलों के कारण दबाव में है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"विद्युत क्रय करार संबंधी नीलामी का दूसरा दौर" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 12.02.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 99 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) और (ख) : केंद्र सरकार ने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों वाली उत्पादन कंपनियों से 3 (तीन) वर्षों (मध्यावधि में शामिल) की अवधि के लिए कुल 2500 मेगावाट विद्युत की खरीद को सरल बनाने के लिए प्रयोगिक स्कीम-II शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 30.01.2019 के अपने पत्र संख्या 23/78/2017-आरएंडआर के द्वारा बोली लगाने संबंधी दस्तावेज जारी कर दिए हैं।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं के मुद्दों का समाधान करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में 29 जुलाई, 2018 को उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) गठित की। एचएलईसी ने अपनी रिपोर्ट 12 नवंबर, 2018 को प्रस्तुत कर दी है। एचएलईसी की रिपोर्ट के अनुसार कुछ कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में संकट के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों में कोयला आपूर्ति से संबंधित मुद्दे, क्षमता में अभिवृद्धि की तुलना में विद्युत मांग में धीमी वृद्धि, डिस्कॉमों द्वारा भुगतानों में विलंब, इक्विटी एवं सेवा ऋण जुटाने में प्रवर्तकों की अक्षमता, विकासकर्ता द्वारा परियोजना का धीमा कार्यान्वयन, बैंकों/वित्तीय संस्थानों से संबंधित मुद्दे, प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया में बोली लगाने वालों द्वारा उद्धृत अधिक टैरिफ, विनियामक एवं संविदात्मक विवाद, नीलामी की गई कोयला खदानों से संबंधित कानूनी मुद्दे और अन्य प्रचालनात्मक मुद्दे शामिल हैं।

सरकार ने मई, 2017 में शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया) नामक नई कोयला लिंकेज आबंटन नीति का अनुमोदन किया है। इस स्कीम के अंतर्गत, 12 सितंबर, 2017 को घरेलू कोयले पर आधारित विद्युत क्रय करार करने वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के लिए कोयला लिंकेजों की नीलामी की गई। विद्युत क्रय करार करने वाले लेकिन बिना कोयला लिंकेज वाले आईपीपी ने नीलामी में भागीदारी की और कुल 8490 मेगावाट क्षमता की पांच संकटग्रस्त परियोजनाओं सहित 11549 मेगावाट क्षमता (10 परियोजनाओं) को लिंकेज प्रदान किया गया और इन परियोजनाओं की समस्याओं का समाधान हो गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1072

जिसका उत्तर 12 फरवरी, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र के पी एस यू द्वारा सी एस आर व्यय

1072. श्री रिपुन बोराः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वित्त वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में विद्युत पी एस यू की सी एस आर निधियों के तहत उनके द्वारा कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) पूरे भारत में विद्युत पी एस यू द्वारा अपनी सी एस आर निधियों के तहत कुल कितनी धनराशि व्यय की गई तथा राज्य-वार और पी एस यू-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्वोत्तर भारत में विद्युत पी एस यू द्वारा अपनी सी एस आर निधियों के किन-किन क्रियाकलापों में व्यय किया गया है; और

(घ) क्या सरकार ने विद्युत पी एस यू को पूर्वोत्तर राज्यों के लिए और अधिक निधियां व्यय करने हेतु कोई निदेश दिया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान, देश भर में विद्युत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) द्वारा उनकी सीएसआर निधियों के अंतर्गत खर्च की गई कुल राशि 2,48,962.2 लाख रु. थी जिसमें से पूर्वोत्तर भारत में 15,743.96 लाख रुपए की राशि खर्च की गई थी। राज्य-वार/सीपीएसई-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) : वे मुख्य गतिविधियां जिन पर सीपीएसई ने अपनी सीएसआर निधियां खर्च की हैं, इस प्रकार हैं:

- शिक्षा/कौशल विकास/खेल-कूद/संस्कृति/कला को प्रोत्साहन देना।
- स्वास्थ्य देखभाल

- उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)
- पिछड़ा क्षेत्र विकास/ग्रामीण विकास/स्थायी विकास
- स्वच्छ भारत अभियान/स्वच्छता/सुरक्षित पेयजल
- निःशक्तता पुनर्वास केंद्र की स्थापना एवं प्रचालन
- समुदायों के आस-पास प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोषण-आहार, खाद्य और ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम
- अरुणाचल प्रदेश के गांवों के घरों में एलईडी टीवी लगाना/वितरण करना
- एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम (एसएसएलएसएस) और सोलर होम लाइटिंग सिस्टम (एसएचएलएसएस) की आपूर्ति, संस्थापना तथा कमीशनिंग
- सोलर पीवी एनर्जी द्वारा स्कूलों को "स्वच्छ प्रकाश व्यवस्था तथा आईसीटी सेवाएं" उपलब्ध कराने हेतु परियोजनाएं
- हयूम पाइप कलवर्ट ब्रिज का निर्माण
- सघन धान खेती विधि प्रणाली संबंधी प्रशिक्षण

(घ) : विद्युत सीपीएसई द्वारा व्यय की गई सीएसआर निधियों का व्यय भारत सरकार की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के द्वारा शासित/मार्गदर्शित किया जाता है जिसके अनुसार सीपीएसई का औसतन 2% निवल लाभांश (पीएटी) प्रति वर्ष इस प्रयोजन के लिए अलग से रखा जाता है। उन स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें स्टेशन/परियोजनाएं स्थित होती हैं।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 12.02.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1072 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

देश भर में विद्युत सीपीएसई द्वारा अपनी सीएसआर निधियों के अंतर्गत व्यय की गई राज्य-वार और पीएसयू-वार राशि

एनटीपीसी

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	**राज्य**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
1.	आंध्र प्रदेश	2776	1379	2462
2.	असम	296	512	89
3.	बिहार	11467	3005	1253
4.	छत्तीसगढ़	4921	3784	4684
5.	दिल्ली	601	713	570
6.	गुजरात	1018	457	1477
7.	हरियाणा	153	125	140
8.	हिमाचल प्रदेश	244	120	38
9.	झारखंड	1454	264	11
10.	कर्नाटक	50	241	29
11.	केरल	499	395	434
12.	मध्य प्रदेश	4967	4252	1035
13.	महाराष्ट्र	205	415	1204
14.	बहुस्थानों	2032	743	345
15.	ओडिशा	5753	2713	2284
16.	राजस्थान	1183	460	387
17.	तमिलनाडु	-	7	-
18.	तेलंगाना	2507	1881	1337
19.	उत्तर प्रदेश	3839	4325	5299
20.	उत्तराखंड	14	272	89
21.	पश्चिम बंगाल	5202	1718	989
	कुल	**49181**	**27781**	**24156**

एनएचपीसी

क्रम सं.	**राज्य**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
1	असम	4444.71	1331.39	1842.64
2	अरुणाचल प्रदेश	326.89	485.41	445.18
3	बिहार	-	2.00	0.36
4	गुजरात	-	-	500.00
5	हरियाणा	10.00	368.71	135.00
6	हिमाचल प्रदेश	70.06	3862.06	112.40
7	जम्मू और कश्मीर	837.52	409.49	356.94
8	केरल	-	37.20	-
9	महाराष्ट्र	-	21.00	-

10	मणिपुर	40.31	47.94	17.13
11	ओडिशा	-	23.00	23.00
12	सिक्किम	46.89	129.94	145.06
13	उत्तर प्रदेश	-	189.45	48.55
14	उत्तराखंड	692.04	58.50	21.95
15	पश्चिम बंगाल	799.13	615.78	206.49
कुल		**7267.55**	**7581.87**	**3854.71**

पावरग्रिड

क्रम सं.	**राज्य**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
1	आंध्र प्रदेश	294.75	667.23	674.76
2	अरुणाचल प्रदेश	10.97	2.62	8.21
3	असम	1,102.85	345.31	418.61
4	बिहार	3,636.45	797.02	568.87
5	छत्तीसगढ़	495.31	349.70	192.07
6	दिल्ली	1,714.66	16.97	1,356.32
7	दादर नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	21.89	6.68	-
8	गुजरात	88.06	116.01	-
9	हरियाणा	215.91	156.14	766.49
10	हिमाचल प्रदेश	2.00	16.63	-
11	जम्मू और कश्मीर	78.88	105.10	177.56
12	झारखंड	179.80	227.64	148.69
13	कर्नाटक	21.49	540.68	262.42
14	केरल	5.70	79.09	-
15	मध्य प्रदेश	194.26	453.82	334.61
16	महाराष्ट्र	308.72	542.31	757.47
17	मिजोरम			43.26
18	मणिपुर	126.77	95.65	-
19	मेघालय	2.74	-	-
20	मिजोरम	3.42	-	-
21	नागालैंड	4.95	-	-
22	दिल्ली	-	3699.63	1056.17
23	ओडिशा	702.63	465.14	367.93
24	पंजाब	-	2.34	19.98
25	राजस्थान	4.73	32.86	218.32
26	सिक्किम	1.00	74.48	27.54
27	तमिलनाडु	57.74	132.46	227.07
28	त्रिपुरा	9.69	0.63	-
29	तेलंगाना	-	113.08	-
30	उत्तर प्रदेश	977.35	2,555.71	2,427.95
31	उत्तराखंड	6.69	16.87	22.31
32	पश्चिम बंगाल	90.31	625.24	445.52
33	अखिल भारत	1,218.47	2,490.17	5,277.26
	कुल	**11578.19**	**14727.20**	**15799.41**

आरईसी

क्रम सं.	**राज्य**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
1.	आंध्र प्रदेश	482.90	-	86.92

2.	अरुणाचल प्रदेश	28.16	-	-
3.	बिहार	43.43	38.00	13.81
4.	छत्तीसगढ़	23.37	-	-
5.	दिल्ली	41.85	214.00	12.48
6.	गुजरात	30.00	-	-
7.	हरयाणा	2.00	-	308.79
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-	59.20
9.	जम्मू और कश्मीर	3.85	-	33.60
10.	झारखंड	40.86	-	86.29
11.	कर्नाटक	4.15	2.00	257.62
12.	केरल	-	-	49.23
13.	मध्य प्रदेश	184.06	39.00	155.36
14.	महाराष्ट्र	4.25	-	-
15.	ओडिशा	175.95	143.00	219.60
16.	पंजाब	45.42	9.00	-
17.	राजस्थान	97.91	-	247.69
18.	तमिलनाडु	73.20	580.00	326.00
19.	तेलंगाना	610.62	-	5.57
20.	उत्तर प्रदेश	154.29	560.00	889.59
21.	उत्तराखंड	123.22	-	-
22.	अखिल भारतीय कार्यक्रम	10302.66	5080.00	1855.48
23.	अप्रत्यक्ष ओवरहैड सहित अन्य व्यय	347.64	315.00	337.68
	कुल	**12819.79**	**6980.00**	**4944.91**

पीएफसी

क्रम सं.		**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
1	पिछले तीन वर्षों के दौरान, देश भर में सीएसआर के अंतर्गत पीएफसी द्वारा व्यय की गई/वितरित की गई राशि	**19552.40**	**12585.08**	**12532.43**

नीपको

क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
1.	असम	488.51	114.06	104.74
2.	मेघालय	161.13	199.27	157.1
3.	नगालैंड	29.87	42.6	8.99
4.	मिजोरम	108.29	19.29	6.17
5.	अरुणाचल प्रदेश	167.89	190.01	172.33
6.	त्रिपुरा	16	42.35	83.02
7.	मणिपुर	58.9	0	0
	कुल	**1030.59**	**607.58**	**532.35**

पोसोको

क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
1	पैन इंडिया	32.86	62.75	29.29
2	दिल्ली	48.27	79.62	64.67
3	महाराष्ट्र	-	-	33.58
4	मेघालय	109	-	-

5	देश भर के वे भाग जिनसे होकर गंगा नदी बहती है	-	19.00	-
	कुल	**190.13**	**161.37**	**127.54**

एसजेवीएनएल

क्रम सं.	राज्य का नाम	2015-16	2016-17	2017-18
1	हिमाचल प्रदेश	1962.00	3122.93	3321.25
2	उत्तराखंड	376.00	336.41	292.86
3	महाराष्ट्र	16.00	31.99	36.37
4	बिहार	414.00	129.82	201.24
5	अरुणाचल प्रदेश	100.00	76.61	14.38
6	दिल्ली	10.00	-	-
7	हरियाणा	-	2.70	-
8	उत्तर प्रदेश	-	15.66	-
9	पंजाब	-	-	10.05
10	चंडीगढ़	9.00	-	-
	कुल:	**2887.00**	**3716.12**	**3876.15**

टीएचडीसी

क्रम सं.	राज्य का नाम	2015-16	2016-17	2017-18
1	उत्तराखंड	1,297.44	1,457.89	1,509.91
2	उत्तर प्रदेश	37.56	76.95	97.07
3	दिल्ली	-	-	15.00
4	**कुल**	**1335.00**	**1534.84**	**1621.98**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1073

जिसका उत्तर 12 फरवरी, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत संरक्षण हेतु की गई पहलें

1073. श्री हरनाथ सिंह यादवः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दैनन्दिन घरेलू और सार्वजनिक उपयोग में विद्युत संरक्षण हेतु कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विद्युत वस्तुओं की विद्युत दक्षता के संबंध में मानदंडों को विनियमित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास विद्युत के संरक्षण और दक्षतापूर्ण उपयोग के बदले नागरिकों को लाभ प्रदान करने हेतु कोई कार्यक्रम/योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने दिन प्रतिदिन के घरेलू तथा सार्वजनिक उपयोग में विद्युत के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) माननीय प्रधान मंत्री ने 05 जनवरी, 2015 को राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम की शुरूआत की जिसमें 2 घटक (i) सस्ती कीमतों पर घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने हेतु सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला), तथा (ii) परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट तथा ऊर्जा दक्ष स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) शामिल हैं। आज की तारीख तक एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी, जो इस कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है, ने देश में 32.39 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए हैं और 80.35 लाख से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं। इसके अतिरिक्त, निजी भागीदारों ने बाजार में दिसंबर, 2018 तक 111.66 करोड़ एलईडी बल्बों का विक्रय किया है।

(ii) भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सरकारी भवन ऊर्जा दक्ष हो जाए, अगस्त, 2017 में सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों को अनुदेश जारी किए हैं। आज की तारीख तक ईईएसएल रेलवे स्टेशनों सहित 10,102 भवनों में भवन ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं पूरी कर चुका है।

(iii) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने मानक एवं लेबलिंग (एसएंडएल) कार्यक्रम की शुरूआत की है जो इसके अनिवार्य तंत्र के अंतर्गत शामिल 10 इलेक्ट्रिक सामानों/उपकरणों तथा इसके स्वैच्छित तंत्र के अंतर्गत शामिल 12 इलेक्ट्रिक सामानों/उपकरणों की ऊर्जा दक्षता संबंधी न्यूनतम मानक परिभाषित करता है। ऊर्जा दक्षता संबंधी मानकों का समय-समय पर उन्नयन किया जाता है।

(iv) स्पेस कूलिंग में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीईई ने विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के इष्टतम स्तर पर एयर कंडीशनिंग की ट्रेम्पचर सेटिंग की सिफारिश करते हुए स्वैच्छिक दिशानिर्देश तैयार किए हैं। बड़े वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे होटलों, हवाई अड्डों, सरकारी कार्यालय परिसरों तथा बड़े संस्थानों में कार्यान्वयन हेतु इन दिशानिर्देशों की सिफारिश की गई है।

(ख) : जी, हां। बीईई के मानक और लेबलिंग (एसएंडएल) कार्यक्रम में उपकरणों की स्टार रेटिंग द्वारा ऊर्जा बचत के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प उपलब्ध कराता है। ये उपकरण एक स्टार से पांच स्टार के होते हैं जहां पांच स्टार सबसे अधिक दक्ष हैं। इस पहल से मध्यम और दीर्घ काल में ऊर्जा बचतों को प्रभावित करने की आशा है। वर्तमान में, 22 उपकरण एसएंडएल कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हैं जिनमें नीचे दिए अनुसार 10 अनिवार्य श्रेणी में हैं और 12 स्वैच्छिक श्रेणी में हैं:-

अनिवार्य श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए गए उपकरण	**स्वैच्छिक श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए गए उपकरण**
1. फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर	1. इंडक्शन मोटर
2. ट्यूबलर फ्लूरोसेंट लैम्प	2. कृषि पम्प सेट
3. रूम एयर कंडीशनर	3. एलपीजी स्टोव
4. रूम एयर कंडीशनर (कैसेट, फ्लोर स्टैंडिंग टॉवर, सीलिंग, कॉर्नर एसी)	4. कम्प्यूटर (नोटबुक/लैपटॉप)
5. कलर टेलीविजन	5. कार्यालय उपकरण (प्रिंटर, कॉपियर और स्कैनर)
6. डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर	6. सीलिंग फैन
7. इनवर्टर एसी	7. कृषि प्रयोजनों के लिए डीजल इंजन ड्राइवेन मोनोसेट पम्प
8. एलईडी लैम्प	8. सॉलिड स्टेट इनवर्टर
9. डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर	9. जेनरेटर
10. इलेक्ट्रिक वाटर हीटर	10. ब्लास्ट (इलेक्ट्रॉनिक/मैग्नेटिक)
	11. वाशिंग मशीन
	12. चिलर

(ग) : विद्युत के संरक्षण और दक्ष प्रयोग के बदले में नागरिकों को लाभ उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की कोई विशेष कार्यक्रम/योजनाएं नहीं हैं। तथापि, नागरिकों को ऊर्जा दक्षता/ऊर्जा संरक्षण उपायों को कार्यान्वित करने के साथ-साथ ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग करने से घटे हुए विद्युत बिलों के रूप में लाभ मिलता है।

****